महेन्द्र सिंह बनाम रामसिंह

94/2015

6/9/23

पत्रावली उभयपक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किये जाने पर तलब की गई विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया जो पत्रावली में शामिल मिसल हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

लक्ष्मण सिंह
पहचान की
गुरुदीप सिंह
कानसिंह

रणवीर सिंह
गणपत
स्वीकृति
शारदा देवी
पुजा
Identified
अधिवक्ता
9.9.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:35:51 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

लक्ष्मण सिंह बनाम राम सिंह वगै0

ाद संख्या: 94/2022

ा	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05.09.2023	पत्रावली उभयपक्ष की ओर से प्रकरण में राजीनामा पेश होने पर तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षकारान की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण ने इस राजीनामें में कथन किया है कि वादी लक्ष्मण सिंह ने प्रतिवादीगण मृतक रामसिंह व अन्य के विरुद्ध एक वाद बाबत् घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का ग्राम रोजदा तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 219 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 220 रकबा 1.47 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.66 हेक्टैयर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.14 हेक्टैयर स्थित है के बाबत् उक्तवाद पेश किया। वादी ने उक्त कृषि भूमि में अब अपना 1/6–1/6 हक व हिस्सा निहित करवाने हेतु उक्त वाद पेश किया था किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह जी का स्वर्गवास हो गया। अब वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का प्रत्येक का उक्त आराजी भूमि में 1/5–1/5 हक व हिस्सा निहित हो गया है। उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने में सभी पक्षकारान सहमत है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की बहिने है जो कि अपना इक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में हक त्याग कर रही हैं। हक त्याग करने के पश्चात् वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/3 – 1/3 हक व हिस्सा होगा। उक्त भूमि सरदारपुरा से रोजदा जाने वाली रोड पर स्थित है। फ्रन्ट में पश्चिम व उत्तर की तरफ 500 वर्गगज जमीन विवादित है उसको छोडकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का समान रूप से बराबर बराबर हिस्सा होगा। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 स्वर्गीय रामसिंह जी ने अपने जीवनकाल में सम्पूर्ण भूमि के सम्बन्ध में एक वसीयत दिनांक 23.09. 2011 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की पत्नी शारदा कंवर व पुष्पा कंवर के हक में निष्पादित की थी। उक्त वसीयत को सभी पक्षकारान इस राजीनामे के आधार पर निरस्त करने हेतु सहमत है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व उनकी पत्नी एवं उनके विधिक वारिसान को उक्त वसीयत 23.09. 2011 के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति व विवाद करने का अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजी कृषि भूमि में स्थित बोरिंग का उपयोग समानुपातिक रूप से करेगे तथा बिजली का बिल भी समान रूप से उपयोग तथा उपभोग का खर्चा वहन करेगे तथा बोरिंग पर आने जाने का रास्ता देगे, जिसके हक में जो भी निर्माण आयेगा उसी अनुपात में निर्माण करवाकर देना होगा। यदि कोई बीच का हिस्सा रखेगा तो वह पूर्व व पश्चिम वाले हिस्से को बनाकर देगा	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:35:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

तथा यदि कोई पक्षकार अपना स्वयं का बोरिंग करवाना चाहेगा तो उसको अन्य पक्षकार बोरिंग का मूल्यांकन करवाकर उसके अनुपात में राशि अदा कर देगे । बोरिंग के खर्चे तीनो पक्षकार बराबर वहन करेगे । यदि कोई पक्षकार अपना अनुपातिक हिस्सा अदा नही करता है तो अन्य पक्षकारो को बोरिंग का उपयोग उपभोग करने से रोकने का अधिकार होगा, साथ ही जगदीश सिंह के हक व हिस्से में आ रही भूमि में बिजली का ट्रांसफार्मर तीनो पक्षकार विद्युत विभाग एवं अन्य सरकारी विभाग तथा किसी स्वतंत्र ऐजेन्सी के माध्यम से होने वाले खर्चे में समानुपातिक रूप से हिस्सेदार होगे। उक्त कृषि भूमि के उत्तर दिशा में मुख्य सडक सरदारपुरा से रोजदा जाने वाली है जिस पर 500 वर्गगज भूमि जो विवादित है को छोड़कर सडक से समान रूप से 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा बराबर पटवारी से नपवाकर बंटवारा किया जायेगा, जिसके पश्चिम व दक्षिण की ओर निकला हुआ कोना जिस पक्षकार के हिस्से में आयेगा वह हिस्सा उक्त बराबर बांटी गयी 1/3 भूमि से अतिरिक्त होगा। उक्त 500 वर्गगज भूमि जो विवादित है जिस पक्षकार के हक व हिस्से में आ रही भूमि से लगती हुई है। उस पक्षकार द्वारा अपने स्तर पर उस विवाद का निपटारा करवा लेने पर वह पक्षकार, उक्त भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अन्य पक्षकारों को उक्त 500 वर्गगज विवादित भूमि बाबत् आपत्ति करने का कोई अधिकार नही होगा। उक्त कृषि भूमि के उत्तर पश्चिमी हिस्सा जगदीश सिंह, उत्तर पूर्वी हिस्सा शंकर सिंह तथा मध्य का हिस्सा लक्ष्मण सिंह का होगा।

वादी लक्ष्मण सिंह की पहचान अधिवक्ता श्री अजीत सिंह चौहान व प्रतिवादीगण शंकर सिंह, जगदीश सिंह, सावित्री कंवर, गायत्री देवी, शारदा देवी, पुष्पा की पहचान अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रताप सिंह ने की। प्रस्तुत राजीनामें से दोनों पक्षों को अवगत करवाया गया। दोनों पक्षों ने उक्त राजीनामा होना स्वेच्छा से स्वीकार किया। राजीनामा पुश्त पर तस्दीक किया गया।

मुताबिक राजीनामा वादी लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रतिवादीगण रामसिंह व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत यह वादी बाबत् घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाता है। प्रस्तुत राजीनामा डिक्री का एक अंग व भाग रहेगा। डिक्री पर्चा तैयार हो। पत्रावली वास्ते फैसल शुमार आदेश दिनांक 06.09.2023 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:35:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
मुख्यालय-जयपुर

06/9/23 पत्रावली पेश हुई। [illegible] का वाद [illegible] द्वारा [illegible] कर दिया गया है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
मुख्यालय-जयपुर